

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2022/42530/ALB/ALLAHABAD/509/CFO

दिनांक : 07-01-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **ACCESS INTAERNATIONAL SCHOOL MALAK BALAU NAWABGANJ PRAYAGRAJ** पता **560,561,MALAK BALAU,NAWABGANJ** तहसील - **SORAON** प्लॉट एरिया **8200 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **5000** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ACCESS SCHOOL	2	0	7.5 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **ACCESS INTAERNATIONAL SCHOOL MALAK BALAU NAWABGANJ PRAYAGRAJ** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **11-01-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **YOGENDRA KUMAR VAISHY** Yogendra_access@yahoo.com **9125774545** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **13-01-2022** से **12-01-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ACCESS INTAERNATIONAL SCHOOL MALAK BALAU NAWABGANJ PRAYAGRAJ** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ACCESS INTAERNATIONAL SCHOOL MALAK BALAU NAWABGANJ PRAYAGRAJ** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाय एवं समय पर मॉकड्रिल करायी जाय एवं प्रत्येक वर्ष अग्निशमन यंत्रों की रिफ्लिंग टेस्टिंग कराकर सविधि विहित शुल्क राजकीय कोष में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।



निर्गत किये जाने का दिनांक : 13-01-2022

स्थान : ALLAHABAD

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

RAJEEV KUMAR PANDEY

C7C0F8C6D56D21BD60856AD7C1ABBB55149594A4

13-01-2022

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.